

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)/(33/2011)/अलेसे -III/ 10702-703

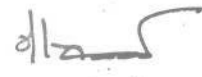
दिनांक :- 22.9.15

आदेश

श्री विजय कुमार गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन) को उनके आवेदन एवं परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, बाँसवाड़ा द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसरण में निम्नांकित तालिका अनुसार कुल 5 दिवस का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम- 96(1) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	अवैतनिक अवकाश अवधि		अवकाश का कारण
	दिनांक	कुल अवधि	
1.	26.12.2014 से 30.12.2014 तक	5 दिवस	स्वयं की बीमारी के कारण
	कुल	5 दिवस	

वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम नं० एफ.1(2)एफ.डी/रूल्स/06 पार्ट-I जयपुर दिनांक 11 जून, 2014 के निर्देशानुसार श्री विजय कुमार गुप्ता, क० लेखाकार का परिवीक्षा प्रशिक्षणकाल यथावत 02 वर्ष ही होगा।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(33/2011)/अलेसे -III/ 10702-703

दिनांक :- 22.9.15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, बाँसवाड़ा को उनके पत्र क्रमांक परि./अधि.टी.ए.डी./बाँसवाड़ा/2013-14/1390 दिनांक 11.08.2015 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति का श्री गुप्ता के सेवा अभिलेख में लाल स्याही से इन्द्राज करावे।
2. श्री विजय कुमार गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार ब्लॉक संदर्भ शिक्षा अधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) बौली, सवाईमाधोपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

3.


(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)